मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 07 दिसंबर, 2010

अधिसूचना

क्रमांक –डी–15–70–2007–चौदह–3 – मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क0 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी–15–50–2005–चौदह–3, भोपाल दिनांक 12 मार्च, 2008 (जिसे उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/प्रसंस्करणकर्ता को राज्य में उत्पादित धान से बासमती चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मण्डी फीस से भुगतान में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन छूट दी गई थी।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपाधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा उक्त अधिसूचना को संशोधन करती है, अर्थात :–

1– उक्त अधिसूचना के **''प्रथम खण्ड''** को विलोपित करते हुए निम्नानुसार खण्ड स्थापित किया जाता है, अर्थात:–

''अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा राज्य के बाहर से अथवा राज्य के भीतर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई ऐसी अधिसूचित कृषि उपज ''धान'' जो केवल बासमती चावल के प्रसंस्करण एवं उत्पादन के लिये उपयोग में लाई जाती है, को उक्त अधिनियम के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान से निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है, अर्थात :–

2– उक्त अधिसूचना के **''शर्त क्रमांक–3''** को विलोपित करते हुए निम्नानुसार शर्त स्थापित की जाती है, अर्थात :–

राज्य के बाहर से क्रय कर मध्यप्रदेश में लाई गई ''धान'' जिससे बासमती चावल का उत्पादन किया जाना है, के संदर्भ में प्रसंस्करणकर्ता को संबंधित राज्य की कृषि उपज मण्डी समिति से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा कि प्रसंस्करणकर्ता द्वारा क्रय कर प्रदेश में लाई जा रही ''धान'' बासमती प्रजाति की है एवं इसकी मात्रा, मूल्य का उल्लेख करते हुए इस पर उदग्रहित होने वाली मण्डी फीस का भुगतान संबंधित मण्डी समिति को प्राप्त हो गया है तथा प्रसंस्करणकर्ता के द्वारा इसका परिवहन मध्यप्रदेश राज्य स्थित उसके संयंत्र पर प्रसंस्करण हेतु किया जा रहा है, यह

प्रमाण–पत्र प्रसंस्करणकर्ता को पाक्षिक विवरणी के साथ संबंधित मण्डी समिति को मण्डी फीस से छूट प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

3–उक्त अधिसूचना के **"शर्त कमांक–10"** को विलोपित करते हुए निम्नानुसार शर्त स्थापित की जाती है, अर्थात :–

" उक्त अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अध्याधीन रहते हुए मंडी क्षेत्र में स्थापित की गयी आधुनिक राईस मिलों को राज्य के भीतर से कय की गई कृषि उपज –"धान" जो कि बासमती चावल के प्रसंस्करण/उत्पादन हेतु उपयोग में लाई जाती है पर, स्थापित की गयी आधुनिक राईस मिलों के द्वारा–बिन्दु–12 अनुसार विनिश्चय कर जारी आदेश की दिनॉक से पांच वर्ष की अवधि तक तथा राज्य के बाहर से कय की गई कृषि उपज–"धान" (जो कि बासमती चावल के प्रसंस्करण/उत्पादन में उपयोग में लाई जाती है) पर इस अधिसूचना के दिनांक से पांच वर्ष तक मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी परन्तु मण्डी फीस से कुल प्राप्त छूट बिन्दु कमांक–9 में यथा उल्लेखित सीमा से अधिक नहीं होगी।"

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अजय सिंह गंगवार)
उप सचिव
म.प्र.शासन,किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 07 दिसंबर,2010

कमांक–डी–15–70–2007–चौदह–3 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिूसचना दिनांक 07 दिसंबर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अजय सिंह गंगवार)
उप सचिव,
म.प्र.शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विभाग